

इसे वेबसाइट [www.govtpress.nic.in](http://www.govtpress.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 34]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 अगस्त 2022—भाद्र 4, शक 1944

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

यह कि मुझ शपथकर्ता की पुत्री संस्कृति राजावत की हाईस्कूल की अंकसूची में एवं सभी शैक्षणिक दस्तावेजों में त्रुटिवश मेरा नाम योगेन्द्र सिंह राजावत एवं मेरी पत्नी का नाम शशि राजावत गलत अंकित हो गया है जिनको दुरुस्त कर मेरा व मेरी पत्नी का सही नाम योगेन्द्र सिंह कुशवाह (YOGENDRA SINGH KUSHWAH) एवं मेरी पत्नी का नाम शशि कुशवाह (SHASHI KUSHWAH) नाम अंकित कर संशोधन किया जाए बाबत मेरा शपथ-पत्र प्रस्तुत है।

गलत नाम

( शशि राजावत )

पति योगेन्द्र सिंह राजावत

(G-1482)

सही नाम

( शशि कुशवाह )

पति योगेन्द्र सिंह कुशवाह

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम सूर्यकांत स्वामी पिता श्यामराज स्वामी जो कि मेरे समस्त दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, पेनकार्ड, ड्रायविंग लाईसेंस, बैंक पासबुक, शैक्षणिक, शासकीय/अर्द्धशासकीय एवं अन्य प्रपत्रों/दस्तावेजों आदि में दर्ज है, और अब मैं अपना नाम सूर्यकांत स्वामी से बदलकर नया नाम सूर्याश स्वामी (SURYANSH SWAMI) पिता श्यामराज स्वामी कर रहा हूँ, मेरे सभी शासकीय एवं अर्द्धशासकीय कार्यों एवं दस्तावेजों में मेरा नया नाम सूर्याश स्वामी (SURYANSH SWAMI) लिखा एवं पढ़ा जावे।

पुराना नाम  
( सूर्यकांत स्वामी )  
पिता श्यामराज स्वामी

(G-1483)

नया नाम  
( सूर्याश स्वामी )  
(SURYANSH SWAMI)  
पिता श्यामराज स्वामी  
पता-175, जोशी मोहल्ला, अम्बेडकर कॉलोनी,  
महू, मध्यप्रदेश.

### CHANGE OF NAME

I Prabhat Kishore Bundela S/o Jugal Kishore Bundela R/o 84/3 Shastri Nagar Ujjain has Changed My Name Prabhat kishore Rajak to Prabhat Kishore Bundela vide Affdvt No. AA036439 Dated 8-10-2014.

Old Name  
(Prabhat Kishore Rajak)  
(G-1484)

New Name  
(Prabhat Kishore Bundela)

### CHANGE OF NAME

The general is informed that in the past my name was Nirmala Singh, and in the present my name is Niru Singh Thakur. So I should be known and known by my new name Niru Singh Thakur, My residence address is :- K-A, 96, Scheme No. 71, Gumasta Nagar, Indore (M.P.)-452009

(G-1485)

**NIRU SINGH THAKUR**  
Add. K-A, 96, Scheme No. 71,  
Gumasta Nagar, Indore (M.P.).

### नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम चेताराम खाटरिया (Chaitram Khatriya) था. जिसे नाम परिवर्तन कर वर्तमान में मुझे चेतन खाटरिया (Chetan Khatriya) निवासी :- 13-ए, अंकुर आंगन, बालाजी स्कॉय के पास निपानिया, इन्दौर, म.प्र. के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जावेगा एवं शासकीय, अशासकीय कार्यालय में अंकित करवाया जावेगा.

(G-1486)

**चेतन खाटरिया (Chetan Khatriya)**  
निवासी :- 13-ए, अंकुर आंगन, बालाजी  
स्कॉय के पास निपानिया, इन्दौर, म.प्र.

### नाम सुधार सूचना

मैं RAM PIYARE भूतपूर्व कर्मचारी GUN-CARRIAGE-FACTORY JABALPUR M.P. RANK-CMD-1 में पदस्थ था. मेरा G.C.F. JABALPUR से रिटायरमेंट 30-06-2003 को हुआ है. तथा मेरी पत्नी का नाम SHANTI BAI भूलवश G.C.F. JABALPUR के रिकार्ड में हो गया है जो मूलतः गलत है मेरी पत्नी का सही नाम SHANTI TIWARI है जो आधार कार्ड में भी अंकित है और सही है. निवेदन है कि मेरी पत्नी का सही नाम SHANTI TIWARI लिखा जाए, पढ़ा जाये.

**RAM PIYARE**

ग्राम-पोस्ट-ताला

जिला सतना (म.प्र.)

भूतपूर्व कर्मचारी

G.C.F. JABALPUR (M.P.)

(G-1487)

### CHANGE OF NAME

I, Sunitha V.S Alias Sunitha. V.S. Chaithram Veedu, Sunita V S Chaitram Veedu, Sunitha VS, Sunitha. V.S., Sunita W/o Shri Sadasivan KM Nambisan R/o Iris-7, Sector-1/A, Global Park City, Katara Hills, Huzur, Bhopal-462043 (M.P.) have changed my name to Sunitha Sadasivan after my marriage on 27-10-2001.

Earlier due to my oversight the published Madhya Pradesh Gazette publication number 24 (G-1122, dated 17 June 2022), number 31 (G-1382 dated 05 August 2022) and *vide* affidavit sworn before the Notary public in Bhopal dated 03-06-22 & 23-07-22 missed some of my maiden names. I have again sworn before the Notary in Bhopal dated 16-8-2022. **THEREFORE**, it is requested that the authorities may cancel the earlier said gazette publication and republish with newer inclusions.

**HENCEFORTH**, I shall be known as Sunitha Sadasivan for all purposes (public, government, non-government documents & others).

**(SUNITHA SADASIVAN)**

New & correct name

(G-1488)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व नाम टीकाराम भारम्बे पिता सोपान भारम्बे था. अब मैं अपना नाम बदलकर मोहन भारम्बे पिता सोपान भारम्बे करवाना चाहता हूं. अब मैं अपने नये नाम मोहन भारम्बे पिता सोपान भारम्बे के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाऊंगा. सौ विदित होंगे.

पुराना नाम

( टीकाराम भारम्बे )

(TIKARAM BHARAMBE)

(G-1489)

नया नाम

( मोहन भारम्बे )

(MOHAN BHARAMBE)

### नाम परिवर्तन विज्ञप्ति

सर्वसाधारण सूचित में टीकासर बैरवा (TEAKASIR BAIRWA) पुत्र श्री रघुवीर बैरवा हाल निवासी ग्राम बड़ोदाराम तहसील व जिला श्योपुर म.प्र. का स्थाई निवासी हूँ मुझे शपथकर्ता ने अपना नाम उपनाम बैरवा की जगह बंसल कर लिया है जिससे मेरा नाम टीकासर बंसल (TEAKASIR BANSAL) पुत्र श्री रघुवीर बैरवा कर लिया है. मुझसे संबंधित हर प्रकार के अभिलेखों व दस्तावेजों में मेरा नाम टीकासर बंसल (TEKASIR BANSAL) पुत्र श्री रघुवीर बैरवा पढ़ा व पुकारा जावे. मुझे भविष्य में टीकासर बंसल (TEAKASIR BANSAL) पुत्र रघुवीर बैरवा के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम  
( टीकासर बैरवा )  
(TEAKASIR BAIRWA)

(G-1490)

नया नाम  
( टीकासर बंसल )  
(TEAKASIR BANSAL)  
पता-ग्राम बड़ोदाराम तहसील व  
जिला श्योपुर, म.प्र.

### प्रेस विज्ञप्ति

मैं तीरथ प्रसाद वर्मा पिता स्व. श्री राम विशाल वर्मा पता वार्ड नम्बर 5 आंगनवाड़ी के पास इतमा रामनगर इतमा सतना पिन नम्बर 485881 म.प्र. के अंतर्गत निवास करता हूँ, मैं, 6वीं वाहिनी विसबल रांझी जबलपुर म.प्र. (कोर्स प्रभारी) सहायक उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत हूँ. मेरी सेवा पुस्तिका में मेरा नाम तीरथ प्रसाद श्री राम विशाल दर्ज है जबकि मेरे अन्य दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पासबुक एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में तीरथ प्रसाद वर्मा पिता श्री राम विशाल वर्मा दर्ज है. अतः मेरी सेवा पुस्तिका में दर्ज नाम तीरथ प्रसाद पिता श्री राम विशाल के स्थान पर तीरथ प्रसाद वर्मा पिता स्व. श्री राम विशाल वर्मा दर्ज किया जावे तथा मुझे इस नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम  
( तीरथ प्रसाद )  
पिता श्री राम विशाल  
(G-1491)

नया नाम  
( तीरथ प्रसाद वर्मा )  
पिता स्व. श्री राम विशाल वर्मा

**नाम परिवर्तन**

मैं नम्रता शर्मा पत्नी श्री प्रकाश शर्मा सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा नाम शादी से पूर्व नम्रता विश्वकर्मा पुत्री राकेश विश्वकर्मा निवासी ग्राम पोस्ट हटी जिला सतना था जो की शादी के उपरांत नम्रता शर्मा पत्नी प्रकाश शर्मा हो गया है मेरे प्रपत्रों में मेरा नाम नम्रता विश्वकर्मा है जो कि मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय प्रपत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक एवं अन्य प्रपत्र इत्यादि में लिखा गया है, जो कि अब मैं सभी दस्तावेजों में अपना नाम नम्रता शर्मा कराना चाहती हूँ यह कि इस विज्ञप्ति उपरांत मुझे अपने नए नाम नम्रता शर्मा के नाम से ही जाना पहचाना एवम पुकारा जाए क्योंकि अब, मैं इसी नाम से जानी पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ और भविष्य में भी मैं इसी नाम से ही जानी पहचानी एवं पुकारी जाऊंगी तथा हस्ताक्षर करती रहूंगी. अतः सूचना प्रकाशन के पश्चात् मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय प्रपत्रों में मेरा नाम नम्रता विश्वकर्मा के स्थान पर नम्रता शर्मा लिखा एवं पढ़ा जावे एवं मुझे नम्रता शर्मा के नाम से ही जाना, पहचाना एवं पुकारा जावे. आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

पुराना नाम  
( नम्रता विश्वकर्मा )  
पुत्री श्री राकेश विश्वकर्मा

नया नाम  
( नम्रता शर्मा )  
पत्नी श्री प्रकाश शर्मा  
निवासी वॉर्ड नंबर 22, प्रियदर्शनी नगर, उतैली,  
सतना जिला सतना म. प्र.

(G-1492)

**नाम परिवर्तन**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम साहिल जैन और मेरे पिता का नाम साकेत जैन व मेरी माता का नाम श्रीमती रेशु जैन है. मेरे एवं मेरे माता-पिता के सभी दस्तावेजों में हम सभी द्वारा इन्हीं नामों का उपयोग किया जाता है. मेरे जन्म प्रमाण-पत्र में भी इन्हीं नामों का उल्लेख है. मेरे द्वारा जब क्राइस्ट स्कूल में प्रवेश लिया गया था तब मेरा नाम साहिल चौधरी दर्ज किया गया परन्तु मेरे उपनाम चौधरी होने के कारण मेरे माता पिता के नाम में भी उपनाम जैन के स्थान पर चौधरी दर्ज हो गया है. मेरे द्वारा क्राइस्ट सीनियर सेकेन्ड्री स्कूल गुना से अब तक कक्षा 12 तक की शिक्षा प्राप्त कर ली है. वर्तमान में, मैं एम. आई. टी. कॉलेज पूना से बी. बी. ए. कर रहा हूँ. यहाँ की अंकसूचियों में भी माता-पिता का उपनाम चौधरी ही दर्ज है. स्कूल एवं कालेज से जारी सभी अंकसूचियों में मेरे एवं माता-पिता के उपनाम में जैन के स्थान पर चौधरी दर्ज है. मेरे द्वारा अब इन्हें सुधरवाने की प्रक्रिया की जा रही है.

पुराना नाम  
साहिल चौधरी  
पिता श्री साकेत चौधरी  
माता श्रीमती रेशु चौधरी

नया नाम  
साहिल जैन  
पति श्री साकेत जैन  
माता श्रीमती रेशु जैन  
पता-नई सड़क, गुना म. प्र.

(G-1493)

**नाम परिवर्तन**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैंने अपना नाम रविन्द्र सिंह से बदलकर पूरा नाम रविन्द्र सिंह तोमर कर लिया है आज से मुझे रविन्द्र सिंह तोमर के नाम से जाना व पहचाना जाए, क्योंकि मेरे सभी दस्तावेजों में पूर्ण नाम है एवं सर्विस रिकार्ड में केवल रविन्द्र सिंह है इस कारण पूरा नाम रविन्द्र सिंह तोमर से जाना जाये.

पूर्व का नाम  
रविन्द्र सिंह

वर्तमान नाम  
रविन्द्र सिंह तोमर  
पुत्र स्व. श्री महेन्द्र सिंह तोमर  
ग्राम/पोस्ट-थरा, तहसील-अम्बाह, जिला मुरैना  
राज्य मध्यप्रदेश.

(G-1494)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मुझे शपथकर्ता के पति श्री दिलीप सिंह भदौरिया आई.टी.बी.पी. में सब इन्सपेक्टर के पद पर कार्यरत है, के सर्विस रिकार्ड में मुझे शपथकर्ता का नाम बबिता देवी दर्ज है जबकि मेरे दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, पेन कार्ड, वोटर कार्ड आदि में मेरा नाम बबिता भदौरिया दर्ज है जो कि सही है। मुझे शपथकर्ता के पति के सर्विस रिकार्ड में अपना नाम बबिता देवी की जगह बबिता भदौरिया दर्ज किया जाए एवं मुझे बबिता भदौरिया के नाम से ही जाना एवं पहचाना जावे।

पूर्व का नाम  
बबिता देवी

वर्तमान नाम  
बबिता भदौरिया  
पति श्री दिलीप सिंह भदौरिया  
निवासी-118, न्यू शिवाजी नगर,  
चौहान प्यारु, थाटीपुर,  
जिला-ग्वालियर (म. प्र.)

(G-1495)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैंने अपना नाम दिलीप सिंह से बदलकर पूरा नाम दिलीप सिंह भदौरिया कर लिया है आज से मुझे दिलीप सिंह भदौरिया के नाम से जाना व पहचाना जाए, क्योंकि मेरे सभी दस्तावेजों में पूर्ण नाम है एवं सर्विस रिकार्ड में केवल दिलीप सिंह है इस कारण पूरा नाम दिलीप सिंह भदौरिया से जाना जाये।

पूर्व का नाम  
दिलीप सिंह

वर्तमान नाम  
दिलीप सिंह भदौरिया  
पुत्र स्व. श्री कंचन सिंह भदौरिया  
एस. 524, सताब्दीपुरम, दीनदयाल नगर,  
जिला-ग्वालियर म. प्र.

(G-1496)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र हिमांशु वर्मा के पेनकार्ड, आधारकार्ड, पासपोर्ट एवं सभी शैक्षणिक दस्तावेजों में त्रुटिवश मेरा उपनाम अर्थात् पिता का उपनाम काशीराम वर्मा अंकित हो गया है। जबकि समस्त दस्तावेजों एवं शासकीय सेवा अभिलेखों में मेरा उपनाम काशीराम बिरबईया अंकित है। अब मेरे पुत्र के समस्त दस्तावेजों में मेरा उपनाम परिवर्तित कर हिमांशु वर्मा पुत्र काशीराम बिरबईया मान्य करें। इस प्रकार मेरे पुत्र के समस्त दस्तावेजों में मेरा (पिता का नाम काशीराम बिरबईया) ही लिखा व पढ़ा जावे।

सूचनाकर्ता  
काशीराम बिरबईया  
क्वा. नं. 317, न्यू कॉलोनी नं. 1,  
बिरला नगर, ग्वालियर.

(G-1497)

**नाम परिवर्तन**

मैं रामसिया शर्मा पुत्र श्री स्वर्गीय भागवत विश्वकर्मा सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा पूर्व का नाम रामसिया विश्वकर्मा था विश्वकर्मा मेरा गौत्र होने से रामसिया विश्वकर्मा मेरे सभी शासकीय/अर्द्ध शासकीय प्रपत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक एवं अन्य प्रपत्र इत्यादि में लिखा गया है जबकि मैं वर्तमान में निक नेम रामसिया शर्मा के नाम से जाना पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ और भविष्य में भी मैं रामसिया शर्मा के नाम से ही जाना पहचाना एवं पुकारा जाऊंगा तथा हस्ताक्षर करता रहूंगा अतः सूचना प्रकाशन के पश्चात मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय प्रपत्रों में मेरा नाम रामसिया विश्वकर्मा के स्थान पर रामसिया शर्मा लिखा एवं पढ़ा जावे एवं मुझे रामसिया शर्मा के नाम से ही जाना पहचाना एवं पुकारा जावे आमजन एवं सर्वजन सूचित हो।

पुराना नाम  
रामसिया विश्वकर्मा

नया नाम  
रामसिया शर्मा  
ग्राम पोस्ट पपौध, तहसील ब्यौहारी,  
जिला शहडोल.

(G-1498)

**नाम परिवर्तन**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे द्वारा दूसरा निकाह अरशी जहाँन (ARSHI JAHAN KHAN) से किया गया है तथा उनकी एक पुत्री जिसका स्कूल कार्यालयीन रिकार्ड में नाम रमीशा रशीद अंकित है, जो कि स्कूल में कक्षा 10वीं की नियमित छात्रा के रूप में अध्ययनरत है।

चूँकि अब मेरे दूसरे विवाह के पश्चात् मेरी पत्नि अरशी जहाँन (ARSHI JAHAN KHAN) एवं उनकी पुत्री रमीशा मेरे साथ ही उक्त मकान में निवासरत है, इसलिए मैं, अपनी पुत्री के स्कूल कार्यालयीन रिकार्ड में निम्नानुसार त्रुटि सुधार करवाना चाहता हूँ जो कि पूर्व में रमीशा रशीद के नाम से अंकित है वर्तमान में रमीशा खॉन के नाम से जाना एवं पहचाना जाये।

पुराना नाम  
( रमीशा रशीद )

नया नाम  
( रमीशा खॉन )  
पता-निवासी-46, बलाईपुरा, भोपाल.

(G-1499)

**नाम परिवर्तन**

मैं शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि मेरी पुत्री अनुष्का गुप्ता की कक्षा 10वीं की अंकसूची प्रमाण पत्र में मेरे मेरा नाम त्रुटिवश दिलीप गुप्ता अंकित हो चुका है जबकि मेरी पुत्री की सभी दस्तावेजों में मेरा सत्य एवं सही नाम भीष्मदेव गुप्ता है इसी प्रकार मैं अपनी पुत्री के सभी दस्तावेजों में अपना नाम भीष्मदेव गुप्ता के नाम जाना पहचाना जाना चाहता हूँ।

प्रार्थी  
भीष्मदेव गुप्ता आत्मज श्री हरि प्रसाद गुप्ता  
आयु-वयस्क, निवासी-वार्ड नं.-15, लवकुश नगर,  
जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश.

(G-1500)

**नाम परिवर्तन**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम पहले ओम प्रकाश (Om Prakash) था तथा जिसमें मैं वर्तमान में अपना सरनाम सोनी जोड़ना चाहता हूँ अर्थात् मेरा नाम ओम प्रकाश सोनी (Om Prakash Soni) करना चाहता हूँ, जिस हेतु मुझे ओम प्रकाश सोनी (Om Prakash Soni) के नाम से जाना व पहचाना जायेगा।

पूर्व के नाम  
ओम प्रकाश (Om Prakash)

वर्तमान नाम  
ओम प्रकाश सोनी (Om Prakash Soni)

(G-1501)

### नाम परिवर्तन

मैं, सुनीता सिंह पत्नी डॉ. आर.बी. भण्डारकर सत्य कथन करती हूँ कि पूर्व में मेरा नाम (कुमारी) सुनीता देवी पुत्री श्री गरीबदास चौधरी था. मेरे सभी शैक्षिक अभिलेखों में मेरा यही नाम अंकित है. मेरे अनेक राजस्व अभिलेखों में मेरा नाम (श्रीमती) सुनीता देवी पत्नी (श्री) रामबाबू भण्डारकर अंकित है. सन 1998 ई से मैंने अपना नाम सुनीता देवी के स्थान पर सुनीता सिंह कर लिया है. अस्तु (कुमारी) सुनीता देवी (श्रीमती) सुनीता देवी और (श्रीमती) सुनीता सिंह वस्तुतः एक ही हैं. वर्ष 1998 ई से मैं अपना नाम सुनीता सिंह ही लिख रही हूँ. मेरे आधार कार्ड, वोटर कार्ड में मेरा यही नाम अंकित है. अतः मुझे सुनीता सिंह (SUNITA SINGH) नाम से ही जाना, लिखा और पुकारा जावे.

पुराना नाम :  
(सुनीता देवी)

नया नाम :

(सुनीता सिंह)

सी-9, स्टार होम्स, रोहित नगर, फेस-2,  
ई-8 एक्सटेंशन बावड़िया  
भोपाल (म. प्र.)

(G-1502)

### नाम परिवर्तन

मेरा पूर्व में नाम अनारकली चौहान पिता चम्पालाल चौहान था तथा वर्तमान में, मैं अपना नाम परिवर्तन कर अन्नु चौहान पिता चम्पालाल चौहान कर रही हूँ भविष्य में भी मेरा नाम अन्नु चौहान पिता चम्पालाल चौहान (ANNU CHOUHAN D/O CHAMPALAL CHOUHAN) के नाम से जाना एवं पहचाना व पुकारा जावे.

नया नाम

(अन्नु चौहान)

पिता चम्पालाल चौहान

निवास, वार्ड क्र 15, ग्राम बावड़िया

अम्बाडा, तहसील खालवा, जिला खण्डवा, म.प्र.

(G-1503)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का नाम MAYRA BANO D/o AJHAR KHAN है. जबकि मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण पत्र में उसका पुराना नाम ALSHIFA BANO दर्ज है. अब मैं अपनी पुत्री का नाम बदलकर MAYRA BANO D/o AJHAR KHAN रख रहा हूँ. मेरी पुत्री के सभी शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में उसका नया नाम MAYRA BANO दर्ज किया जाये.

सूचनाकर्ता

(अजहर खान)

पता-गेड़े वाली सड़क, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.)

(G-1504)



**नाम परिवर्तन**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र जतिन राठौर जो कि अस्पताल में जन्म के समय से चला आ रहा है, उक्त नाम को परिवर्तित कर जिज्ञांश राठौर पुत्र श्री मुकेश राठौर माता श्रीमती शालिनी राठौर ही जाना जाये. अतः आज दिनांक 19-07-2022 से मेरे पुत्र का नाम जतिन राठौर के स्थान पर जिज्ञांश राठौर (JIGHYANSH RATHORE) पुत्र मुकेश राठौर ही रहेगा एवं मेरे तथा पुत्र के सभी दस्तावेजों में यह नाम से जाना, पहचाना व पढा जाये.

पुराना नाम :  
(जतिन राठौर)

नया नाम :  
(जिज्ञांश राठौर)  
पिता श्री सुरेश राठौर  
नि.-साईं विहार कालोनी, सिकन्दर कम्पू  
धोकलपुरा, वीरपुर, ग्वालियर. 474001

(G-1505)

**नाम परिवर्तन**

मैं, उर्मिला सिंह रघुवंशी पत्नी श्री शैलेन्द्र सिंह रघुवंशी, मकान नं. HX -91, E -7 अरेरा कॉलोनी, भोपाल मध्यप्रदेश. मेरा नाम उर्मिला रघुवंशी/उर्मिला सिंह कुछ डॉक्यूमेंट में अंकित है जो दोनों नाम मेरी ही है जबकि मेरा सही एवं पूरा नाम उर्मिला सिंह रघुवंशी (URMILA SINGH RAGHUVANSHI) जो कि आधार कार्ड, पेन कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में दर्ज है. अतः मुझे उर्मिला सिंह रघुवंशी (URMILA SINGH RAGHUVANSHI) के नाम से जाना पहचाना जाए.

पुराना नाम :  
(उर्मिला रघुवंशी/उर्मिला सिंह)  
(URMILA RAGHUVANSHI / URMILA SINGH)  
पत्नी श्री शैलेन्द्र सिंह रघुवंशी

नया नाम :  
(उर्मिला सिंह रघुवंशी)  
(URMILA SINGH RAGHUVANSHI)  
पत्नी श्री शैलेन्द्र सिंह रघुवंशी,

(G-1506)

**नाम परिवर्तन**

मैं शैलेन्द्र सिंह रघुवंशी पुत्र श्री प्रताप सिंह रघुवंशी, मकान नं. HX -91, E -7 अरेरा कॉलोनी, भोपाल मध्यप्रदेश. मेरा नाम शैलेन्द्र रघुवंशी/शैलेन्द्र सिंह कुछ डॉक्यूमेंट में अंकित है जो दोनों नाम मेरी ही है जबकि मेरा सही एवं पूरा नाम शैलेन्द्र सिंह रघुवंशी (SHAIENDRA SINGH RAGHUWANSHI) जो कि आधार कार्ड, पेन कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में दर्ज है. अतः मुझे शैलेन्द्र सिंह रघुवंशी (SHAIENDRA SINGH RAGHUWANSHI) के नाम से जाना पहचाना जाए.

पुराना नाम : नया नाम :  
(शैलेन्द्र रघुवंशी/शैलेन्द्र सिंह)  
(SHAIENDRA SINGH / SHAIENDRA RAGHUWANSHI)  
पिता श्री प्रताप सिंह रघुवंशी

(शैलेन्द्र सिंह रघुवंशी)  
(SHAIENDRA SINGH RAGHUWANSHI)  
पिता श्री प्रताप सिंह रघुवंशी,

(G-1507)

## PUBLIC NOTICE

This is to inform that M/S Auto Sales having head office at Jayendraganj, Gwalior is registered Partnership Firm with Registrar of Firms and Societies *vide* Registration No. 1057 year 1987-88.

On 01.04.1997, Smt. Munni Devi Agarwal and Shri Devraj Garg have retired from the Partnership due to inability to devote time to the partnership firm and shri Sanjay Garg has desired to continue the business w.e.f 01.04.1997. Now only shri Sanjay Garg is running the business in the same name and style. Hence, the partnership firm stands dissolved.

This public notice is being published for the purpose of dissolution of the partnership firm with the office of Registrar of Firms and Society.

**(Sanjay Garg)**  
Authorised Representative  
M/S Auto Sales

(G-1508)

## PUBLIC NOTICE

This is to inform that M/s Fenway Buildtech having its office at Khatke ka Bada, Dal Bazar, Lashkar, Gwalior (M.P.) is registered Partnership firm with Registrar of Firms and Societies *vide* Registration No. 02-42-01-0359-22, dated 07-02-2022.

On 30-06-2022, Divyanshi Welfare Trust has retired from the Partnership due to some unavoidable reasons. Now the partners of the firm are :

1. Shri Manish Kandelwal
2. Shri Yogesh Khandelwal
3. Goyal Group Residences LLP
4. Shri Kartikey Goyal

This public notice is being published for the purpose of registration of change in the composition of the partnership firm with the office of Registrar of Firm and Society.

**(Kartikey Goyal)**  
Partner  
M/S Fenway Buildtech

(G-1509)

## आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स— खजुराहो ऑटो मोबाइल्स, भवन क्रमांक 112, खजुराहो रोड, राजनगर तहसील राजनगर, जिला— छतरपुर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 06/12/02/0092/18 पंजीयन दिनांक 29-10-2018 को गठित होकर पंजीयत हुई जिसमें त्रिलोकी नाथ द्विवेदी, आलोक कुमार, मोहम्मद हनीफ, भागीदार थे. और दिनांक 21-11-2020 को मोहम्मद हनीफ, ने अपनी स्वेच्छा से फर्म से बाहर हो गये और आज दिनांक 21-11-2020 से संशोधित फर्म में निम्नलिखित भागीदार है त्रिलोकी नाथ द्विवेदी, आलोक कुमार.

सूचनाकर्ता  
(त्रिलोकी नाथ द्विवेदी)  
भागीदार  
मेसर्स— खजुराहो ऑटो मोबाइल्स

(G-1510)

**आम सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स— आर.ए.एम.जे. कंस्ट्रक्शन, शॉप क्र 02, कमला मार्केट, शिव वाटिका सर्टई रोड, छतरपुर, तहसील छतरपुर, जिला— छतरपुर (म.प्र.) पंजीयन क्र 06/12/01/0071/17, पंजीयन दिनांक 29-08-2017 को गठित होकर पंजीयत हुई जिसमें जीतेन्द्र कुमार द्विवेदी, आदित्य बुधौलिया, रवि शंकर पटेल, मयंक खरे, भागीदार थे और दिनांक 15-08-2019 को आदित्य बुधौलिया, मयंक खरे, ने अपनी स्वेच्छा से फर्म से बाहर हो गये और आज दिनांक 16-08-2019 से संशोधित फर्म में निम्नलिखित भागीदार है जीतेन्द्र कुमार द्विवेदी, रवि शंकर पटेल।

**सूचनाकर्ता**  
(रवि शंकर पटेल)  
भागीदार  
मेसर्स – आर.ए.एम.जे. कंस्ट्रक्शन

(G-1511)

**आम सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स— श्री राम पाइप्स इंडस्ट्रीज, भवन क्रमांक 16, वार्ड क्रमांक 1, ओमप्रकाश पटैरिया C/O ओमप्रकाश मिश्रा, बस स्टैंड के पास शारदा कॉलोनी, महाराजपुर, तहसील महाराजपुर, जिला—छतरपुर (म.प्र.) पंजीयन क्र 06/12/10/0003/15 पंजीयन दिनांक 24-04-2015 को गठित होकर पंजीयत हुई जिसमें जयदेव शर्मा, जय प्रकाश पटैरिया, श्रीमति प्रज्ञा शर्मा, श्रीमति शोभा पटैरिया, भागीदार थे और दिनांक 31-03-2016 को जयदेव शर्मा, श्रीमति प्रज्ञा शर्मा, ने अपनी स्वेच्छा से फर्म से बाहर हो गये और आज दिनांक 01-04-2016 से संशोधित फर्म में निम्नलिखित भागीदार हैं जय प्रकाश पटैरिया, श्रीमति शोभा पटैरिया,।

**सूचनाकर्ता**  
(जय प्रकाश पटैरिया)  
भागीदार  
मेसर्स – श्री राम पाइप्स इंडस्ट्रीज

(G-1512)

**आम सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स— जे.बी.डी. उद्योग, प्लॉट नंबर 07, इंडस्ट्रियल एरिया, बरगवां, जिला कटनी में स्थित है जिसका पंजीयन क्र 04/15/03/0165/20, दिनांक 28-10-2020 है जिसमें दिनांक 01-04-2022 को भागीदार श्री कमल बजाज पुत्र श्री गोपीचंद बजाज निवासी जे.बी.डी मार्ग, जे.बी.डी भवन के सामने, हेमू कालानी वार्ड कटनी अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक हो गए हैं एवं इसी दिनांक 01-04-2022 को भागीदार श्री हरीश बजाज पुत्र श्री रमेश लाल बजाज, निवासी वार्ड नंबर-41, एमईएस लाईन जे.बी.डी. मंदिर के सामने, हेमू कालानी वार्ड, माधवनगर, कटनी अपनी स्वेच्छा से समिम्मलित हो गए हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

**(श्री दिलीप कुमार बजाज)**  
भागीदार  
मेसर्स— जे.बी.डी. उद्योग  
प्लॉट नंबर 07, इंडस्ट्रियल एरिया  
बरगवां, जिला कटनी (म.प्र.)

(G-1513)

## मध्यप्रदेश वित्त निगम, इन्दौर

प्रधान कार्यालय "वित्त भवन" मुम्बई-आगरा मार्ग इन्दौर

Ref. No. 322-2022-23

इन्दौर, दिनांक 23 अगस्त 2022

### सूचना

सूचना दी जाती है कि मध्य प्रदेश वित्त निगम के अंशधारियों की सदसद्वी वार्षिक साधारण बैठक गुरुवार, दिनांक 15 सितम्बर, 2022 को दोपहर 4.00 बजे "वित्त भवन", मुम्बई-आगरा मार्ग, इन्दौर स्थित निगम के प्रधान कार्यालय में होगी, जिसमें निम्नलिखित कार्य सम्पादन किया जायेगा :-

- 01- 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के तुलनपत्र तथा लाभ-हानि लेखों के सम्बन्ध में लेखा परीक्षक की रिपोर्ट तथा वर्ष के दौरान निगम के कार्यों के सम्बन्ध में संचालक मण्डल की रिपोर्ट का वाचन और उस पर विचार।
- 02- वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु सांविधिक अंकेक्षक की नियुक्ति पर विचार।
- 03- अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य विषय जो बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

निगम की अंशबही दिनांक 26 अगस्त, 2022 से 15 सितम्बर, 2022 तक (दोनों दिन मिलाकर) बन्द रहेगी।

नोट :

- (क) सदसद्वी वार्षिक साधारण बैठक में उपस्थित होने हेतु प्रस्तावों की प्रमाणित प्रतिलिपियों (उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित जिसमें प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था) जिसमें कम्पनी द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हों, निगम कार्यालय में बैठक के 4 दिन पूर्व (सम्पूर्ण दिन) अर्थात् 8 सितम्बर, 2022 तक पहुँच जाना चाहिए।
- (ख) प्रतिपत्र (प्रॉक्सी) निगम के कार्यालय में बैठक के 7 दिन (सम्पूर्ण दिन) पूर्व अर्थात् 5 सितम्बर, 2022 तक पहुँच जाना चाहिए।
- (ग) अंशधारियों की सूची एक रुपया प्रति की दर से निगम कार्यालय में बैठक के तीन सप्ताह पूर्व उपलब्ध हो सकेगी।

### NOTICE

Notice is hereby given that the 67<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Shareholders of the Madhya Pradesh Financial Corporation will be held at the Head Office of the Corporation, "Finance House", Mumbai - Agra Road, Indore, on **Thursday, the 15<sup>th</sup> September, 2022 at 4.00 pm** to transact the following businesses:-

01. To read and consider the Balance Sheet and Profit and Loss Account of the Corporation for the year which ended on **31<sup>st</sup> March, 2022** (together with the Report of the Auditors thereon) and the Report of the Board of Directors of the Corporation on its working during the year.
02. To consider appointment of Statutory Auditors for the Financial Year **2022-23**.
03. Any other business which may be placed before the meeting with the permission of the Chairman.

The Share Register of the Corporation will remain close from **26<sup>th</sup> August, 2022 to 15<sup>th</sup> September, 2022** (both days inclusive).

### NOTES

- (a) Certified copies (certified to be true copies by the Chairman of the meeting in which the resolution is passed) of the Resolutions appointing duly authorized representatives by Companies to attend the 67<sup>th</sup> Annual General Meeting should reach the office of the Corporation not later than four clear days i.e. **8<sup>th</sup> September, 2022**.
- (b) Proxies should reach the office of the Corporation not later than seven clear days before the date fixed for the meeting i.e. **5<sup>th</sup> September, 2022**.
- (c) Lists of Shareholders are available at the office of the Corporation for purchase by Shareholders at a price of Re. 1/- per copy, three weeks before the date fixed for the meeting.

12 अगस्त 2022

“वित्त भवन” 6  
मुम्बई-आगरा मार्ग,  
इन्दौर-452001.

संचालक मण्डल की आज्ञानुसार.

लोकेश कुमार जाटव, प्रबन्ध संचालक.

(G-1514)

कार्यालय, पंजीयक एवं लोकन्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, कोठीमहल, जिला उज्जैन

प्र. क्र. 0004-बी-113-2022-23-471.

उज्जैन, दिनांक 11 जुलाई 2022

प्रारूप चार  
(नियम-5) 1 (देखिए).  
सूचना पत्र

मध्य प्रदेश लोकन्यास अधिनियम 1959 ( 1951 का 30) की धारा की उपलब्ध (2) मध्य प्रदेश लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5(1) देखिए।

पंजीयक,  
लोकन्यास,  
उज्जैन जिला उज्जैन के समक्ष

चूंकि आवेदक श्री दिव्य धाम देव स्थान ट्रस्ट उज्जैन, निवासी प्रस्तावित कार्यालय विनायक सिटी हाटकेश्वर बिहार के सामने, न्यू रिंग रोड, नानाखेडा उज्जैन म.प्र. ने लोक न्यास अधिनियम 1951 का 30 ( की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह सार्वजनिक, नारमार्थिक एवं शैक्षणिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु आवेदन किया है। एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 28.06.22 को प्रातः 11 बजे स्थान कोठी पेलैस उज्जैन का विचार के लिये लिया गया।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है।

अतः में पंजीयक लोक न्यास एवं डिप्टी कलेक्टर उज्जैन जिला उज्जैन का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 28.06.2022 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा 1 द्वारा तथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ।

अतः एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी, न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार

रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता ओर कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जाएगा।

अनुसूची:-

( लोक न्यास की संपत्ति का वर्णन, लोक न्यास का नाम और पता )

न्यास का नाम:- श्री दिव्य धाम देव स्थान ट्रस्ट उज्जैन , निवासी प्रस्तावित कार्यालय विनायक सिटी हाटकेश्वर बिहार के सामने, न्यू रिंग रोड, नानाखेडा उज्जैन म.प्र.

कार्यालय:- विनायक सिटी हाटकेश्वर बिहार के सामने, न्यू रिंग रोड, नानाखेडा उज्जैन

अचल संपत्ति :- निरंक

चल संपत्ति:- - निरंक

जगदीश मेहरा, अनुविभागीय अधिकारी.

(G-1515)

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास/अनुविभागीय अधिकारी (रा.), छिन्दवाड़ा

क्र. 1983-अ.वि.अ.-री-1-2022

छिन्दवाड़ा, दिनांक 3 अगस्त 2022

प्रारूप-पांच  
(नियम 5(1) देखिये)  
सूचना पत्र

रा0प्र0क्र0 1/बी-113(1)/2022-23  
मौजा- छिन्दवाड़ा रा0नि0मं0 छिन्दवाड़ा-2  
तहसील व जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0)  
तारीख पेशी 12/09/2022

(मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा 2 और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5 (i) द्वारा :-

चूंकि श्री दिगम्बर जैन सूर्योदय धाम स्वर्ण मंदिर ट्रस्ट छिन्दवाड़ा की ओर से अध्यक्ष शैलेन्द्र जैन, उपाध्यक्ष प्रीतेश जैन, उपाध्यक्ष सचिन जैन, महामंत्री विजय किरण जैन, सचिव अपूर्व जैन, सहसचिव पंकज जैन, कोषाध्यक्ष आलोक जैन, वित्त सचिव अंकित कुमार जैन, प्रचार-प्रसार मंत्री अमित कुमार जैन निवासी- छिन्दवाड़ा तहसील व जिला छिन्दवाड़ा द्वारा म0प्र0 लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन एक आवेदन पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीयन के लिए आवेदन किया है।

एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है, कि आवेदन पर मेरे न्यायालय में दिनांक 12/09/2022 को विचार के लिए लिया जावेगा।

अतः मैं अनुविभागीय अधिकारी (रा0)/लोक न्यास अधिकारी जिला छिन्दवाड़ा के लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 12/09/2022 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूँ।

अतः एतद् द्वारा सूचना दी जाती है, कि किसी आपत्ति या मुद्दाव को करने का आशय रखते हुये कथित न्याय या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता है और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि को समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

श्री दिगम्बर जैन सूर्योदय धाम स्वर्ण मंदिर ट्रस्ट छिन्दवाड़ा तहसील व जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0) अचल सम्पत्ति निरंक।

प्रारूप-चार  
(नियम 5(1) देखिये)  
सूचना पत्र

रा0प्र0क्र0 1/बी-113(1)/2022-23  
मौजा- छिन्दवाड़ा रा0नि0मं0 छिन्दवाड़ा-2  
तहसील व जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0)  
तारीख पेशी 12/09/2022

(मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा 2 और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5 (1) द्वारा :-

चूंकि श्री दिगम्बर जैन सूर्योदय धाम स्वर्ण मंदिर ट्रस्ट छिन्दवाड़ा की ओर से अध्यक्ष शैलेन्द्र जैन, उपाध्यक्ष प्रीतेश जैन, उपाध्यक्ष सचिन जैन, महामंत्री विजय किरण जैन, सचिव अपूर्व जैन, सहसचिव पंकज जैन, कोषाध्यक्ष आलोक जैन, वित्त सचिव अंकित कुमार जैन, प्रचार-प्रसार मंत्री अमित कुमार जैन निवासी- छिन्दवाड़ा तहसील व जिला छिन्दवाड़ा द्वारा म0प्र0 लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन निम्न अनुसूची में दर्शित चल-अचल सम्पत्ति हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है, कि उक्त आवेदन पत्र इस न्यायालय में विचार किया जावेगा कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट अथवा सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सलाह प्रस्तुत करना चाहता हो, वह इस सूचना पत्र के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के अंदर दो प्रतियों में लिखित में मेरे समक्ष स्वयं अपने वैध प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करे तथा उपस्थित रहें, निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

क्र0	नाम वस्तु	विवरण	वजन तथा नग
1	चल सम्पत्ति	1- चांदी के बर्तन, जेवर एवं चांदी की अन्य सामग्री	20 किलो 498 ग्राम कीमत 13,54,292/- रुपये
		2- सोने के जेवर	140 ग्राम कीमत 6,90,000/-
		3- नगद राशि	निरंक
2	अचल सम्पत्ति	निरंक	

अतुल सिंह, अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

(G-1516)

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, अनुभाग हुजूर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश  
प्र. क्र. 200-बी-121-2020-21

रीवा, दिनांक 13 मई 2022

मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951(30)  
की धारा 5 की उपधारा 2 और मध्यप्रदेश  
लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5।

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी पिता दुर्गा प्रसाद तिवारी निवासी बोदाबाग रीवा द्वारा म0प्र0 लोक न्यास अधिनियम 1951 का 30 की धारा-4 के अधीन अनुसूचित में लोकन्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है। एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 08-08-2022 को विचार के लिए जावेगा।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उस बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने पर विचार रखता हो तो उसे इस सूचना को लोक न्यास को दे जिसका कि गठन वह करती है।

अतः एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये, उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा।

लोकन्यास का नाम और पता :- रोशनलाल  
सक्सेना, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान जेल मार्ग रीवा  
(म0प्र0)

चल सम्पत्ति :- 11,000/-रूपये

अचल सम्पत्ति :-

अनुराग तिवारी, अनुविभागीय अधिकारी.

(G-1517)



न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक, लोक न्यास, बड़वाह, जिला खरगोन

क्र. 2054-रीडर-1-22

प्र. क्र. 0001-बी-113(1)-2022-23

बड़वाह, दिनांक 25 जुलाई 2022

// फामे-4 //

मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 (क्रमांक 30-1951) की धारा 5(2) एवं म0प्र0 पब्लिक ट्रस्ट रूल्स 1952 के नियम 5(1) के अंतर्गत:-

समक्ष पंजीयक, लोक न्यास, बड़वाह

चूंकि प्रार्थी ओमप्रकाश पिता डगलचन्द जी सोनी निवासी सोलंकी कालोनी सनावद तहसील सनावद जिला-खरगोन की ओर से "मारवाडी स्वर्णकार समाज ट्रस्ट सनावद तहसील सनावद जिला-खरगोन" ग्राम 48 खरगोन रोड सनावद तहसील सनावद जिला-खरगोन द्वारा ट्रस्ट पंजीयन हेतु पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 (क्रमांक 30-1951) की धारा-4 के अन्तर्गत निम्न अनुसूची में दर्शित चल/अचल सम्पत्ति हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन पत्र पर इस न्यायालय में विचार किया जावेगा। कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट अथवा सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सलाह प्रस्तुत करना चाहता हो, वह इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के अन्दर दो प्रतियों में लिखित में मेरे समक्ष स्वयं अथवा अपने वैध प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करे तथा उपस्थित रहे। निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अ0क्रं0	नाम वस्तु	विवरण	वजन तथा नग	राशि
1.	2.	3.	4.	5.
01.	नगद	निरंक	निरंक	11,000=00
02	अचल सम्पत्ति	सनावद में भू-खण्ड हैं।	निरंक	निरंक

बी. एस. कलेश, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(G-1518)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी, रघुराजनगर (नगरीय) एवं पंजीयक, लोक न्यास, जिला सतना, मध्यप्रदेश

क्र. 220-अनु.अधि.-रीडर-2022

सतना, दिनांक 22 जुलाई 2022

प्रारूप क्र. 4

[ देखें नियम 5(1) ]

(मध्य प्रदेश लोक अधिनियम 1951(1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5(1) के द्वारा

लोक न्यासों के पंजीयक सतना जिला के समक्ष

यतः कि शिवा सेन चौरसिया तनय इन्द्रसेन चौरसिया निवासी ग्राम खरहरा जप्ती पोस्ट बरगदवा जिला बस्ती उ0प्र0 हाल निवासी मलाहन टोला गली नं0 05 धवारी सतना, तहसील रघुराजनगर जिला सतना ने मध्य प्रदेश

लोक न्यास अधिनियम 1951(1951 का 30) की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए आवेदन किया है, एतद् द्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 25/08/2022 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जाएगा।

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा।

#### अनुसूची

( लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण )

1. न्यास का नाम :- " भगवान पशुपति नाथ गौ सेवा संरक्षण एवं संवर्धन न्यास "
- 2-न्यास का पता - गली नं० 05, धवारी सतना थाना सिटी कोतवाली तहसील रघुराजनगर, जिला सतना
3. अचल सम्पत्ति:- निरंक
4. चल सम्पत्ति:- 36,000-00 रुपये

#### प्रारूप - 5

(देखें नियम 5(1))

(मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951(1951का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5(1) के द्वारा)

लोक न्यासों के पंजीयक, सतना के समक्ष

अतः मुझे यह प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951(1951 का 30) की धारा - 2 की उपधारा (4) के आशय के अधीन लोक न्यास का गठन करती है।

अब इसलिए मैं नीरज खरे, लोक न्यासों का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 25/08/2022 को कथित अधिनियम की धारा - 5 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ।

अतः एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि कथित न्यास का सम्पत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या इसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति और आपत्ति या सुझाव देने का आशय रखने वाले को दो प्रतियों में नियत दिनांक 25/08/2022 के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः या प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा।

नीरज खरे, अनुविभागीय अधिकारी.

(G-1519)

इसे वेबसाइट [www.govtpress.nic.in](http://www.govtpress.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 34]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 अगस्त 2022—भाद्र 4, शक 1944

भाग 3 ( 2 )

सांख्यिकीय सूचनाएं

( कुछ नहीं )